प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 27.05.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	रेहड	फुरकान पुत्र असगर निवासी ग्राम हसनपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।
2	कोतवाली शहर	नसीम पुत्र महमूद निवासी ग्राम रहीमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3	कोतवाली शहर	फुरकान पुत्र फयाजुद्दीन निवासी ग्राम रहीमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4	कोतवाली शहर	ओमपी पुत्र गेंदा सिहँ निवासी ग्राम गजरौला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5	कोतवाली शहर	इस्तेकार पुत्र निसार निवासी मौ0 रांघडान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6	कोतवाली शहर	मौ0 युसूफ पुत्र हुसैन निवासी मौ0 रांघडान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7	कोतवाली शहर	शौकीन पुत्र हुसैन निवासी मौ0 रांघडान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
8	कोतवाली शहर	अनीता शर्मा पत्नी दीपक शर्मा निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली शहर बिजनौर

JOHN LOUIS

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 27.05.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 129/25 धारा 351(2)/78(1)/115(2)/74/87/316(2) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी / एसटी एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.04.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त गौरव निवासी बी-6 आदर्श नगर कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर वादिया के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 129/25 धारा 351(2)/78(1)/115(2)/74/87/316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गौरव मलिक पुत्र वेदपाल सिंह निवासी बी-6 आदर्शनगर कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव मलिक पुत्र वेदपाल सिंह निवासी बी-6 आदर्शनगर कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 129/25 धारा 115(2)/352/351(2)/333/109(1)/118(1) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना नजीबाबद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 53/25 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना नजीबाबद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सौरभ कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी अशोक कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.हो0गा0 609 संजय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 27.05.2025**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.08.2020 को वादी श्री इकबाल हुसैन पुत्र इमदाद हुसैन निवासी मौ0 मुगलूशाह कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी का भाई जमशेद हुसैन उर्फ गुड्डु पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर वादी से रंजिश रखता था। दिनांक 12.08.2020 को जमशेद उपरोक्त ने वादी के पुत्र मौ0 अलमास पर जान से मारने की नियत से वार किये तथा वादी के पुत्र को बचाने आये वादी के भाई जावेद हुसैन पर भी वार किये, जिससे वादी का पुत्र गम्भीर रुप से घायल हो गया तथा उसकी मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 389/20 धारा 302/307 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

कार्यवाही –

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.05.2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–03 / एनडीपीएस एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 389/20 धारा 302/307 भादवि व 392/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त जमशेद हुसैन उर्फ गुड्डु पुत्र इमदाद अहमद हुसैन निवासी मौ0 मकबरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व 30,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

जमशेद हुसैन उर्फ गुड्डु पुत्र इमदाद अहमद हुसैन निवासी मौ0 मकबरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 27.05.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 139/25 धारा 115(2)/352/351(2)/333/109(1)/118(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.04.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि रईश पुत्र अ0 हमीद निवासी मौ0 नई बस्ती थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर सहित कुल 04 नामित अभियुक्तगण द्वारा वादिया के घर मे घुसकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डन्डो आदि से वादिया व वादिया के परिजनो के साथ मारपीट की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 139/25 धारा 115(2)/352/351(2)/333/109(1)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रईस पुत्र अ0 हमीद निवासी नई बस्ती चारबाग जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रईस पुत्र अ0 हमीद निवासी नई बस्ती चारबाग जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 139/25 धारा 115(2)/352/351(2)/333/109(1)/118(1) बीएनएस थाना नजीबाबद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सन्दीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 सोनू कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.का01943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.म0का0 2149 सोनम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 27.05.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गए ई-रिक्शा के एक बैटरे सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.05.2025 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के भाई की घर के बाहर खडी ई-रिक्शा का बैटरा चोरी कर लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 132/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त पंकज पुत्र मदन सिंह निवासी शाहअलीपुर जमन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र मदन सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशांदेही पर ई-रिक्शा का बैटरा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

पंकज पुत्र मदन सिंह निवासी शाहअलीपुर जमन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

चोरी किया गया ई-रिक्शा का एक बैटरा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 132/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 हिमांशु कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 27.05.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 125/25 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित हिस्ट्रीशीटर सहित 02 अभियुक्तगण को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.05.2025 को वादी श्री वीर सिंह (ग्राम चौकीदार) पुत्र रोहताश निवासी ग्राम छोटा श्यामपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा छोटा श्यामपुर के जंगल में तेजपाल पुत्र विक्रम सिंह के गन्ने के खेत में गौवंशीय पशु (बछडा) का वध कर अवशेष डाल दिये। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.फिरोज कुरैशी उर्फ सोनू पुत्र शमीम उर्फ काले निवासी मौहल्ला मोमिन नगर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 2.दानिश कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम सत्तारवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 3.रहीश कुरैशी पुत्र कय्यूम कुरैशी निवासी ग्राम रावलहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त फिरोज कुरैशी को पूर्व में ही पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 27.05.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.दानिश कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम सत्तारवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर व 2.रहीश कुरैशी पुत्र कय्यूम कुरैशी निवासी ग्राम रावलहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दानिश के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नोट – अभियुक्त दानिश थाना नगीना देहात का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध थाना नगीना देहात पर गौवध, गैंगस्टर, चोरी आदि अन्य धाराओं में करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.दानिश कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम सत्तारवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.रहीश कुरैशी पुत्र कय्यूम कुरैशी निवासी ग्राम रावलहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त दानिश कुरैशी का आपराधिक इतिहास (एचएस नं0 – 82A)

1.मु0अ0सं0 125/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, 11 पशु क्रुरता अधिनियम व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 251/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 127/20 धारा 188,269,270,429 भादवि व 3 महामारी अधि0 व 51 वी0 आपदा प्रबन्धन अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 313/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 125/13 धारा 379 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

अभियुक्त रहीस कुरैशी का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 125/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना नगीन देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मनोज कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री मिलाप सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3.कां0 2042 विनोद कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

4.कां0 269 लवलेश थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 27.05.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने गौवध की घटना कारित करने वाले हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र व गौवध में प्रयुक्त उपकरण बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.05.2025 को वादी श्री वीर सिंह (ग्राम चौकीदार) पुत्र रोहताश निवासी ग्राम छोटा श्यामपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा छोटा श्यामपुर के जंगल में तेजपाल पुत्र विक्रम सिंह के गन्ने के खेत में गौवंशीय पशु (बछडा) का वध कर अवशेष डाल दिये। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त फिरोज कुरैशी उर्फ सोनू पुत्र शमीम उर्फ काले निवासी मौहल्ला मोमिन नगर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

दिनांक 26.05.2025 की रात्रि में थाना नगीना देहात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दिनांक 19/20.05.2025 की रात्रि मे ग्राम छोटा श्यामपुर क्षेत्र मे गोकशी की घटना करने वाला अभियुक्त मोटरसाइकिल से ग्राम जुलाहापुर बुन्दकी रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाला है जो पुनः गौकशी की घटना करने की फिराक मे है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चेकिंग शुरु की गयी तो एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से ग्राम जुलाहापुर बुन्दकी रेलवे स्टेशन की तरफ से आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा नजदीक आने पर मोटरसाइकिल सवार उक्त व्यक्ति को रुकने का संकेत दिया तो पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल वापस मोडकर भागने का प्रयास करने लगा कि अचानक मोटरसाइकिल अनियन्त्रित होकर गिर गयी तथा मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना नाम फिरोज कुरैशी उर्फ सोनू पुत्र शमीम उर्फ काले निवासी मौहल्ला मोमिन नगर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिन्दा व एक खोका कारतूस व गोवध में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त फिरोज कुरैशी उर्फ सोनू उपरोक्त को उपचार हेतु सीएचसी नगीना में भर्ती किया गया है। इस सम्बंध में थाना नगीना देहात पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि दिनांक 19/20.05.2025 की रात्रि में पूर्व मे बनायी योजना के अनुसार उसने अपने साथी रहीश कुरैशी पुत्र कय्यूम कुरैशी निवासी रावलहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर व दानिश कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम सत्तारवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के साथ मिलकर वाहद ग्राम छोटा श्यामपुर मे गन्ने के खेत मे घुमन्तु गोवंशीय पशु (बछडे) को पकड़ कर उसका वध किया था तथा इसका मांस मोटरसाइकिल से ले जाकर अपने परिचितों को बिक्री कर दिया था। वध किये हुये बछड़े के अवशेष मौके पर ही गन्ने के खेत मे डाल दिये थे।

नोट – अभियुक्त फिरोज कुरैशी उर्फ सोनू थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात / नगीना देहात पर चोरी, गौवध, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर व अन्य धाराओं में आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फिरोज कुरैशी उर्फ सोनू पुत्र शमीम उर्फ काले निवासी मौहल्ला मोमिन नगर थाना कोतवाली देहात,जनपद बिजनौर

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.रहीश कुरैशी पुत्र कय्यूम कुरैशी निवासी रावलहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.दानिश कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम सत्तारवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना (रंग काला बिना नम्बर प्लेट)
गोवध से सम्बंधित उपकरण (कुल्हाडी, तराजु, रस्सी, 04 छुरी, वजनी बाट (1 किलोग्राम) आदि)
एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिन्दा व एक खोका कारतूस

अभियुक्त फिरोज कुरैशी उर्फ सोनू का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 125/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना नगीना देहात बिजनौर
2.मु0अ0सं0 134/25 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25/27(1) आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात बिजनौर
3.मु0अ0सं0 341/23 धारा 429,511 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात बिजनौर
4.मु0अ0सं0 270/23 धारा 379,411 भादवि (बछडा चोरी) थाना कोतवाली देहात बिजनौर
5.मु0अ0सं0 134/22 धारा 323,324,325,506 भादवि थाना कोतवाली देहात बिजनौर
6.मु0अ0सं0 54/22 धारा 498(ए),323,506 भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना कोतवाली देहात बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री संजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 श्री ललित कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
4.उ0नि0 श्री मनोज कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
5.उ0नि0 श्री हिमांशु कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
6.हे0कां0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
6.हे0कां0 737 सुभाषचन्द थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
7.कां0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
8.कां0 135 ईशान चौधरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
9.कां0 269 लवलेश कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
10.कां0 2089 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।